न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 03 / 2016

1 सोहन पुत्र छाजुराम जाति माली निवासी लाटी का बास तन थली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 मुन्नी देवी स्त्री महेन्द्र जाति माली निवासी लाटी का बास तन थली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
2 ताराचन्द पुत्र छाजुराम जाति माली निवासी ढाणी बेरावाली तन ढाणा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
3 लीलाराम पुत्र छाजुराम जाति माली निवासी लाटी का बास तन थली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
4 मुन्नी देवी उर्फ मन्नी देवी स्त्री बंशी पुत्र बंशी जाति माली निवासी बेरावाली ढाणा तन सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
5 सुनिल
6 शेरसिंह पुत्र बंशी जाति माली निवासी ढाणी बेरावाली तन ढाणा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
7 इन्द्राबाई पुत्री बंशी स्त्री सुभाषचन्द्र सैनी जाति माली हाल आबाद बल्ला बावड़ी वार्ड नम्बर 20 खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
8 भूमिधारक जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ.धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.12.2015 बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना मु.नं. 39 / 2012 मुकदमा उनवानी सोहन बनाम मुन्नीदेवी दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञापक व्यादेश

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील संख्या 13 / 2016

1 सोहन पुत्र छाजुराम जाति माली निवासी लाटी का बास तन थली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 मुन्नी देवी स्त्री महेन्द्र जाति माली निवासी लाटी का बास तन थली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
2 ताराचन्द पुत्र छाजुराम जाति माली निवासी ढाणी बेरावाली तन ढाणा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
3 लीलाराम पुत्र छाजुराम जाति माली निवासी लाटी का बास तन थली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
4 मुन्नी देवी उर्फ मन्नी देवी स्त्री बंशी पुत्र बंशी जाति माली निवासी बेरावाली ढाणा तन सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
5 सुनिल
6 शेरसिंह पुत्र बंशी जाति माली निवासी ढाणी बेरावाली तन ढाणा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
7 इन्द्राबाई पुत्री बंशी स्त्री सुभाषचन्द्र सैनी जाति माली हाल आबाद बल्ला बावड़ी वार्ड नम्बर 20 खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
8 भूमिधारक जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ.धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955 अपील खिलाफ निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 12.01.2016 बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना मुकदमा उनवानी सोहन बनाम मुन्नीदेवी मु.नं. 39 / 2012 दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञापक व्यादेश

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी • सीकर •

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शीशराम सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 11/7/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 39/2012 में पारित निर्णय दिनांक 30.12.2015, 12.01.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 65 रकबा 0.63, खसरा नम्बर 100 रकबा 3.00 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 158/10 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 159/100 रकबा 0.15 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 3.97 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम लाडी का बास पटवार हल्का थली तहसील बुहाना में स्थित है। उक्त जमीन के बाबत अपीलान्ट सोहन ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञापक व्यादेश का इस आशय का पेश किया रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 जमीन हाल खसरा नम्बर 158 रकबा 0.19 हैक्टेयर सरहद ग्राम लाडी का बास के खाता विभाजन से पहले सम्पूर्ण खसरा नम्बर पर निर्माण नहीं करे, रास्ता बन्द ना करें किस्म परिवर्तित नहीं करें। उक्त आशय के अपीलान्ट के वाद पत्र में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने प्रतिदावा बाबत खाता विभाजन पेश किया। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट के वाद पत्र को पोषणीय नहीं मानकर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के प्रतिदावा को दिनांक 30.12.2015 को प्राथमिक रूप से डिक्री कर दिनांक 12.01.2016 को अंतिम रूप से निर्णित कर डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपीले प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट को सुना नही गया तथा प्रतिदावा का जवाब पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। विचारण न्यायालय ने

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

सिविल प्रकिया संहिता के आवश्यक प्रावधानों की पालना नहीं की। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट को साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने गलत निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री जैर बहस पारित है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित गलत निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री अनुपालना में तहसीलदार बुहाना के द्वारा जो विभाजन रिपोर्ट बनाई है वह रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 मुन्नी देवी के प्रभाव में आकर अपीलान्ट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय व मनमर्जी से बनाई है। विचारण न्यायालय ने गलत विभाजन रिपोर्ट के आधार पर अंतिम निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित करने में कानूनी भुल की है। विचारण न्यायालय के समक्ष निर्णय व अंतिम डिक्री जैर बहस पारित करने में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के आवश्यक प्रावधानों की पालना नहीं की। इस कारण भी अंतिम डिक्री जैर बहस खारिज होने योग्य है। अपीले स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट सोहन द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर ग्राम लाडी का बास पटवार हल्का थली की भूमि खसरा नम्बर 58 के संदर्भ में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट द्वारा काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर विवादित भूमि खसरा नम्बर 100, 158/10 सहखातेदारी में दर्ज होना कथन कर विभाजन का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई सहखातेदार के विरूद्ध विभाजन से पूर्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पोषणीय नहीं मानकर प्रतिवादी का विभाजन का काउंटर क्लेम स्वीकार कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना कर विचाराधीन निर्णय पारित किये है। अपीलान्ट द्वारा विभाजन की प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री को चुनौती दी गई है। स्वयं के वाद के निर्णय को पृथक से अपील प्रस्तुत कर चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट सोहन द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर ग्राम लाडी का बास पटवार हल्का थली की भूमि खसरा नम्बर 58 के संदर्भ में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट द्वारा काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर विवादित भूमि खसरा नम्बर 100, 158/10 सहखातेदारी में दर्ज होना कथन कर विभाजन का अनुतोष चाहा है।

विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई सहखातेदार के विरूद्ध विभाजन से पूर्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पोषणीय नहीं मानकर प्रतिवादी का विभाजन का काउंटर क्लेम स्वीकार कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना कर विचाराधीन निर्णय पारित किये है।

अपीलान्ट द्वारा विभाजन की प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री को चुनौती दी गई है। स्वयं के वाद के निर्णय को पृथक से अपील प्रस्तुत कर चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11/7/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

अनिल कुमार II RAS
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)